प्रेस नोट
दिनांक 18.02.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गला दबाकर निर्मम हत्या करने का मुख्य आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, मृतक का मोटरसाइकिल, रू0 2000/-नगद व आलाकत्ल बरामद ,

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-96/2024, धारा 302, 201, 404, 411 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्त विपिन सिह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम गडेरियनपुरवागोकुला थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ढेमवा घाट से सोहावल जाने वाली सड़क से मृतक के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी पवन कुमार सिंह उर्फ सुल्तान सिंह पुत्र स्व0 रामकुमार सिंह निवासी ग्राम साकीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ने थाना नवाबगंज को सूचना दिया कि मेरा लड़का दिनाकं 15.03.2024 को शाम 19.00 बजे अपने दोस्त के घर गया था वहाँ से खाना खाकर अपने मोटरसाकिल से घर के लिए निकला था लेकिन घर नही पहुचा दुसरे दिन दिनांक 16.03.2024 को सुबह 06.30 बजे सूचना मिली कि मेरे लड़के का शव गोकुला से मचरहा जाने वाली सड़क के पास खेत में पड़ा है उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-96/2024, धारा 302, 201 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 03 टीमों का गठन कर घटना का जल्द से जल्द सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को निर्देशित किया गया था। दिनाकं 17.03.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरान्त घटना में प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्त विपिन सिह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम गडेरियनपुरवा गोकुला थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ढेमवा घाट से सोहावल जाने वाली सडक पर प्रमोद सिंह के बन्द होटल के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि भुपेन्द्र(मृतक) घर से अपने दोस्त गोली सिहं के घर आया था वहाँ से खाना खाकर अपने मोटरसाकिल से घर जा रहा था कि रास्ते में मुझसे मिला फिर हम दोनो ने मिलकर शराब पीये फिर मेरे घर दोनो लोग मछली खाये। जब मै भुपेन्द्र सिंह(मृतक) को घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में हम दोनो लोगो में किसी बात को लेकर विवाद हो गया फिर मैने खेत के किनारे लगे ब्लेड के कटिलें तार से बंधा बल्ली को तोड़कर मारने लगा। वह चिल्लाने लगा तो फिर मैने गला दबाकर गुस्से में उसकी हत्या कर दी तथा बचने के लिए उसके जेब से रू0 8200/- रूपये निकाल कर उसके मोटरसाइकिल से वहाँ से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विपिन सिह उर्फ सूर्य प्रताप सिंह पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम गडेरियनपुरवागोकुला थाना नवाबगंज, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-96/2024, धारा 302, 201, 404, 411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगीः

01. 01 अदद मृतक की बजाज प्लेटिना मोटर साईकिल।
02. 2000/- रूपया नगद (घटना के बाद मृतक का)
03. कटीला तार (खूना लूद)
04. लकड़ी की पतली बल्ली(आला कत्ल)
05. अभियुक्त का घटना के समय पहना हुआ खूनालूदा कपड़े।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 मनोज कुमार राय थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 अरूण कुमार गौतम
03. हे0का0 विजय सिंह यादव
04. हे0का0 सुरेन्द्र ओझा
05. हे0का0 विजय बहादुर यादव
06. का0 देवेन्द्र गुप्ता
07. का0 शिवांश त्रिपाठी
08. म0आ0 चांदनी देवी
09. म0आ0 अर्चना सिंह.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 18.02.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद को आवंटित नव नियुक्त उपनिरीक्षको के साथ संवाद कर उन्हें उज्जवल भविष्य की अग्रीम शुभकामनाए दी गयी तथा इमानदारी व सत्यनिष्ठता से अपने कर्तव्यों एवम दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आज दिनाकं 18.03.2024 को पुलिस कार्यालय में स्थित सभागार कक्ष में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद को आवंटित नव नियुक्त उपनिरीक्षको के साथ संवाद कर उन्हें उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाए दी गयी तथा ईमानदारी व सत्यनिष्ठता से अपने कर्तव्यों एवम दायित्वों का भली भांति निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया।

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2020-2021 के अन्तर्गत चयनित 58 उपनिरीक्षक जिसमें 48 पुरूष उपनिरीक्षक तथा 10 महिला उपनिरीक्षक सम्मलित है। 58 उपनिरीक्षक जिनमें 25 पीटीसी मुरादाबाद से, 07 पीटीसी उन्नाव से, 16 एपीटीसी सीतापुर से व सभी 10 महिला उपनिरीक्षक पीटीसी मुरादाबाद से 12 माह का कठिन आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु जनपद गोण्डा को आवण्टित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिक्षणाधीन 58 नवनियुक्त उपनिरीक्षको को जनपद के विभिन्न थानों जिनमें थाना कोतवाली नगर में 07, थाना को0देहात में 04, थाना खरगूपुर में 02. थाना इटियाथोक में 03, थाना धानेपुर में 02, थाना मोतीगंज में 02, थाना को0मनकापुर में 05, थाना छपिया में 01, थाना खोड़ारे में 02, थाना तरबगंज में 06, थाना नवाबगंज में 05, थाना वजीरगंज में 03, थाना उमरीबेगमगंज में 03, थाना करनैलगंज में 06, थाना परसपुर में 02, थाना कटराबाजार में 02, थाना कौडिया में 03 उपनिरीक्षकों को 12 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आवण्टन किया गया है। प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षकों द्वारा उच्च शैक्षिक योग्यता(बी-टेक, एम-टेक, एमफिल, एम0सी0ए0 व विभिन्न संकायों में परास्नातक) आदि प्राप्त कर उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए है ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षकों को जनता से मधुर व्यवहार, फरियादियों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निष्पक्ष निस्तारण करने, मेहनत व लगनशील रहकर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 18.03.2024 थाना को0मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक मु०अ०सं० 113/2024 धारा 498A,304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों 01. सूरज, 02. बिफई व 03. श्रीमती चन्दा देवी को जिगना मोड़ थाना मनकापुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2024 को वादी द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लडकी की शादी सूरज पुत्र विफई के साथ हुई थी। वादिनी लड़की को ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर की आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी मनाकपुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए 03 आरोपी अभियुक्तों 01. सूरज, 02. बिफई व 03. श्रीमती चन्दा देवी को आज दिनांक 18.03.2024 को जिगना मोड़ के पास थाना मनकापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मनाकपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सूरज पुत्र विफई निवासी ग्राम सिसई भीखपुर थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।
02. बिफई पुत्र स्वर्गीय निबर निवासी ग्राम सिसई भीखपुर थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।
03. श्रीमती चंदा देवी पत्नी बिफई निवासिनी ग्राम सिसई भीखपुर थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 113/2024 धारा 498A,304B आईपीसी व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० श्री अभिषेक मिश्रा
02. हे०का० बालमुकुन्द यादव
03. का० सत्येन्द्र कुमार प्रसाद
04. म०का० मोनी सिंह
05. म०का० रोशनी त्रिवेदी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.03.2024

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा षडयन्त्र के तहत हत्या करने के अभियुक्त के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा करते हुए मुनादी कराई गयी

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोक सभा समान्य चुनाव 2024 व आगामी त्योहरों के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोतीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 40/22 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 120बी भादवि में वांछित बबलू सिंह उर्फ अखिलेश कुमार सिंह पुत्र रामउदार सिंह निवासी ग्राम बिरवा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोंडा के विरुद्ध माननीय न्यायालय से 82 सीआरपीसी का नोटिस प्राप्त किया गया। इसके संबंध में आज अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई गई।

प्रेस नोट
दिनांक 18.03.2024 थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मारपीट करने का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 97/2024 धारा 308, 504, 506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित कुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम साहपुर थाना मैजानपुर जिला आजमगढ़ को चौखडिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2024 को वादी अंकुर सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर माझा पूरे गोडिया पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज पर लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षी द्वारा मेरा मोटरसाइकिल व मोबाइल मांग कर ले गया था मेरे भाई द्वारा मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर फावड़े से मार पीट कर घायल कर फरार हो गया। प्राप्त तहरीर की आधार पर नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना उ0नि0 उमाशंकर प्रसाद द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त अमित कुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम साहपुर थाना मैजानपुर जिला आजमगढ़ को आज दिनांक 18.03.2024 को चौखडिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमित कुमार सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम साहपुर थाना मैजानपुर जिला आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 97/2024 धारा 308, 504, 506 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमाशंकर प्रसाद
02. का0 अरविन्द यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।